

प्र/निग०/रीवा/2018/01755

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म०प्र०



श्रीमती रामवती साकेत पत्नी श्री छटिलाल साकेत उम्र 45 साल निवासी
ग्राम नकवार, तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०

.....आवेदिका/निगरानीकर्ता

बनाम

1. सूर्यपाल भुर्तिया पिता रामकिशोर भुर्तिया साकिम नकवार, तहसील
हनुमना जिला रीवा म०प्र०

2. शासन म०प्र०

.....अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्तागण

महोदय श्री राजेश प्रदेल
बल्लू पटेल 14-2-18

निगरानी बिरुद्ध आदेश श्रीमान तहसीलदार
महोदय तहसील हनुमना जिला रीवा के
प्र०क०1ए74/16-17 मे पारित आदेश दिनांक
17.11.17 के बिरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा
50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959ई.

मान्यवर

निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

1. यह कि , अधीनस्थ तहसीलदार तहसील हनुमना के आदेश दिनांक
17.11.17 विधि प्रक्रिया के बिपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य
है।
2. यह कि , निगरानीकर्ता अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना जिला
रीवा के प्र०क०192 /अ 66/12-13 दिनांक 28.6.13 के बिरुद्ध
म०प्र०वास स्थान दखलकार भूमिस्वामी अधिकारो का प्रदाय किया
जाना अधिनियम 1980 की धारा 6 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की
गयी थी , आराजी नम्बर 150/2 रकवा 1.199हे० जो स्थित ग्राम
नकवार तहसील हनुमना की भूमि निगरानीकर्ता के पट्टे व कब्जे की

रामवती साकेत

14/3/18


257

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू-रा0 / 2018 / 01755

जिला-रीवा.

श्रीमती रामवती साकेत / सूर्यपाल भुर्तिया

(1)	(2)
/8-12-18 -	<p>1. आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 01/ए-74/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 17.11.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20.02.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>